पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 85/2021

1. महावीर सिंह पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी गढड़ा त0 भादरा ।

:– वादी

ब ना म

1. रणजीत पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी गढ़डा त0 भादरा ।
2. कमला पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी गढड़ा त0 भादरा।
3. बिमला पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी गढड़ा त0 भादरा।
4. गुड्डी पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी गढड़ा त0 भादरा।
5. इन्द्रावती पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी गढड़ा त0 भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विनोद शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गढड़ा के खाता सं0 232/210 के खसरा सं0 44 की 10.7870है0 खसरा सं0 91 की 1.6310है0 खसरा सं0 96 की 2.9220है0 खसरा सं0 124 की 0.8600है0 कुल 16.200है0 बारानी खातेदारी भूमि में प्रतिवादी सं0 1 रणजीत के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें से प्रतिवादी सं0 1 रणजीत का नाम कलमजन कर वादी महावीर सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने तथा यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी महावीर सिंह को खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.7.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा (सत्यनारायण)

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 85/2021

1. महावीर सिंह पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी गढड़ा त0 भादरा ।

:– वादी

व ना म

1. रणजीत पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी गढड़ा त0 भादरा ।
2. कमला पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी गढड़ा त0 भादरा।
3. बिमला पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी गढड़ा त0 भादरा।
4. गुड्डी पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी गढड़ा त0 भादरा।
5. इन्द्रावती पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी गढड़ा त0 भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : वादी

वकील श्री विनोद शर्मा : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 13.7.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा गढड़ा के खाता सं0 232/210 के खसरा सं0 44 की 10.7870है0 खसरा सं0 91 की 1.6310है0 खसरा सं0 96 की 2.9220है0 खसरा सं0 124 की 0.8600है0 कुल 16.200है0 बारानी खातेदारी भूमि में प्रतिवादी सं0 1 रणजीत के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पहले वादी के दादा मघाराम की खातेदारी हुआ करती थी। मघाराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 रणजीत ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 5 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 6 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 महावीर पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी गढडा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही गढडा के खाता संवत 2075–78 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी बुढेर संवत 2077–80 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गढडा प्रदर्श 3, खसरा मिलान प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही गढडा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने साक्ष्यवादी में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही गढडा के खाता संवत 2075–78 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी बुढेर संवत 2077–80 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गढडा प्रदर्श 3, खसरा मिलान प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 4 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण के अनुसार रणजीत के एक पुत्र महावीर व चार पुत्री गुड्डी, कमला, विमला, इन्द्रावती इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा निहित है वाद भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि रोही मौजा बुढेर के खाता सं0 100/98 के खसरा सं0 197/1, 256, 259, 261 कुल 8.4350है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अतः प्रतिवादी सं 1 रणजीत का नाम कलमजन किया जाकर वादी खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है।

<u>कियात्मक आदेश</u>

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गढड़ा के खाता सं0 232/210 के खसरा सं0 44 की 10.7870है0 खसरा सं0 91 की 1.6310है0 खसरा सं0 96 की 2.9220है0 खसरा सं0 124 की 0.8600है0 कुल 16.200है0 बारानी खातेदारी भूमि में प्रतिवादी सं0 1 रणजीत के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें से प्रतिवादी सं0 1 रणजीत का नाम कलमजन कर वादी महावीर सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने तथा यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी महावीर सिंह को खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.7.21...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक)भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner